

विदेश तक पहुंचेगा शिवपुरी की जैकेट का कारोबार

अडानी ग्रुप की फैक्ट्री तैयार, केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दी जानकारी

शिवपुरी, 12 जनवरी. जैकेट के लिए शिवपुरी पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया है. इसे एक जिला एक उत्पाद में भी शामिल किया गया है. अडानी ग्रुप ने 10 करोड़ का सीएसआर फंड देकर जैकेट फैक्ट्री लगाई है.

जैकेट फैक्ट्री 20 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगी. पहले चरण में 500 महिलाओं को रोजगार मिलेगा. दूसरे और तीसरे चरण सहित कुल 1500 महिलाओं को जैकेट कारोबार से जोड़कर रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं. जैकेट फैक्ट्री को



लेकर यह जानकारी केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कलेक्ट्रेट शिवपुरी में प्रेस को दी. बदरवास तहसील के बूढ़ा डोंगर गांव में जमीन आवंटित करवाकर जैकेट फैक्ट्री का निर्माण कराया जा रहा है.

फैक्ट्री के लिए 160 मशीनें भी आ चुकी हैं. ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित समूहों की करीब 400 महिलाओं को जैकेट सिलने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है. इसमें बदरवास और कोलारस दोनों ब्लॉक की महिलाओं को शामिल किया गया है. फैक्ट्री खुलने के साथ ही ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहेगा. बदरवास में महिलाओं द्वारा बनाई जाने वाली जैकेट विदेश भी भेजी जाएगी.

सरकार पर 25 हजार की कॉस्ट के साथ अपील स्वीकृत

बिना अधिग्रहण निजी जमीन पर सड़क बनाने का मामला

जबलपुर, 12 जनवरी. निजी भूमि में सड़क बनाने को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 25 हजार की कॉस्ट लगाई थी. इसके अलावा पीडित को सड़क नहीं हटाये जाने तक 15 हजार रुपये प्रतिदिन हर्जाने के तौर पर देने के निर्देश दिये थे.

सरकार की तरफ से उक्त आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया तथा प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए



प्रतिदिन हर्जाने के तौर पर 15 हजार रुपये दिये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है. युगलपीठ ने 25 हजार रुपये की कॉस्ट को बरकरार रखा है. रीवा मऊगंज निवासी भास्कर दत्त द्विवेदी की तरफ से निजी भूमि में सड़क बनाने के

खिलाफ याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये थे. एकलपीठ ने आदेश में कहा था कि कॉस्ट तथा जुर्माने की राशि मनोज कुमार चतुर्वेदी कार्यपालन यंत्री के वेतन से वसूला जाये.

सरकार की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि रिट याचिका की सुनवाई के दौरान उप सरकारी अधिकता ने मौखिक रूप से जानकारी दी थी कि याचिकाकर्ता के निजी जमीन के हिस्से में सड़क का निर्माण किया जा रहा है. हाईकोर्ट में इस संबंध में हलफनामा नहीं दायर किया गया था. मौखिक जानकारी के आधार पर एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी करते हुए 24 घंटे में निजी भूमि से सड़क हटाने के आदेश जारी किये थे.

बालपांडे दंपति को मुंबई में किया सम्मानित

भारतीय मानवाधिकार परिषद का वार्षिक सम्मेलन

पांडुरना, 12 जनवरी, महाराष्ट्र के मुंबई में सोमवार 12 जनवरी को भारतीय मानवाधिकार परिषद की आयोजित वार्षिक सम्मेलन में पांडुना निवासी गणेश बालपांडे तथा इनकी धर्मपत्नी श्रीमती भारती बालपांडे को डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर ग्लोबल प्लेस अवार्ड से संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शेख के हस्ते सम्मानित किया गया.

गौरतलब हो कि निस्वार्थ भाव से दिन दुखियों की मदद करने के साथ ही समाज में उत्कृष्ट कार्य



करने वालों को भारतीय मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिवर्ष अपने वार्षिक सम्मेलन में ऐसे चिह्नित समासेवियों को संविधान निर्माता डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर ग्लोबल प्लेस अवार्ड से सम्मानित करती है। परिषद द्वारा इस वर्ष इस सम्मान के लिए मध्य प्रदेश के पांडुरना जिले के गणेश बालपांडे तथा इनकी धर्मपत्नी श्रीमती भारती बालपांडे का चयन किया गया था.

सम्मान पाकर हुए खुश

मुंबई के मीरा रोड स्थित जीसीसी वलब में भारतीय मानवाधिकारी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शेख की अध्यक्षता में 12 जनवरी 2026 सोमवार को संपन्न हुए इस भारतीय मानवाधिकारी परिषद के वार्षिक सम्मेलन में आमंत्रित अतिथियों की मुख्य अतिथी तथा सैकड़ों गनमान्य समाजसेवियों की प्रमुख उपस्थिति में परिषद के इस सर्वश्रेष्ठ डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर ग्लोबल प्लेस अवार्ड से गणेश पिता डोगाजी बालपांडे तथा भारती पति गणेश बालपांडे को परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शेख के हस्ते पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया .

तहसील कार्यालय में दबिश, केस दर्ज

लोकायुक्त टीम ने नायब तहसीलदार कार्यालय तहसील सरई के अंदर ट्रैप कार्रवाई को अजाम दिया. जैसे ही सहायक ग्रेड-3 लखपति सिंह ने 3 हजार रुपए की रिश्त राशि ली, लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. हालांकि दूसरा आरोपी देवेंद्र जायसवाल मौके पर उपस्थित नहीं पाया गया. दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है. इस कार्रवाई का नेतृत्व ट्रैपकर्ता अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार ने किया .

बीमा अधिकारी 1.5 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में गिरफ्तार

ग्वालियर. डबरा के नजदीक 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी के आरोपी एलआईसी डवलपमेंट अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस चौकी ने उसे ग्वालियर में पकड़ा, आरोपी पिछले एक साल से फरार चल रहा था. पुलिस चौकी प्रभारी बलवीर मावई ने बताया कि आरोपी हाकिम जाटव भिंड में एलआईसी डवलपमेंट अधिकारी के पद पर कार्यरत है. उसने एक वर्ष पूर्व टेकनपुर हाइवे पर स्थित 3 बीघा जमीन सस्ते दाम पर बेचने का लालच देकर 12 लोगों के साथ धोखाधड़ी की, आरोपी ने जमीन का एग्रीमेंट कराकर उनसे राशि हड़प ली थी.

एक नजर में



सूर्य नमस्कार से मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है

मंदसौर, 12 जनवरी. स्वामी विवेकानंद की जयंती 'युवा दिवस' के अवसर पर जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन सजय गांधी उद्यान, मंदसौर में किया गया. कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया गया. कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार मीना, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुधीर सिंह निगवाल सहित जिला अधिकारीगण, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे. जिले के समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षा संस्थानों एवं पंचायतों में भी सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किए गए. मुख्यमंत्री के सजीव प्रसारण को सभी स्थानों पर देखा. कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुई एवं समापन राष्ट्रगान जन गण मन के साथ किया गया .

आज से मंडला तक चलेगी स्पेशल ट्रेन

छिंदवाड़ा, 12 जनवरी. सांसद बंटी विवेक साहू के अथक प्रयासों से मकर संक्रांति के अवसर पर आज से मंडला फोर्ट तक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड द्वारा यह स्पेशल ट्रेन इतवारी से वाया सोनार व छिंदवाड़ा होते हुए मंडला फोर्ट तक चलाई जाएगी. उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा जिले से बड़ी संख्या में मकर संक्रांति के अवसर पर मान नर्मदा का स्नान करने के लिए मंडला जाते हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए सांसद बंटी विवेक साहू ने पिछले दिनों मंडला फोर्ट तक स्पेशल ट्रेन चलाने का निवेदन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और डीआरएम से किया था। सांसद श्री साहू के प्रयासों से यह स्पेशल ट्रेन 13 जनवरी से 16 जनवरी तक ट्रेन नंबर 08841 मंडला फोर्ट तक 4 दिन चलाई जाएगी और ट्रेन नंबर 08842 मंडला फोर्ट से वाया छिंदवाड़ा होते हुए इतवारी तक 14 जनवरी से 16 जनवरी तक तीन दिन के लिए चलेगी। इस ट्रेन 16 कोचों की एक्सप्रेस ट्रेन होगी। यह ट्रेन इतवारी से आज 13 जनवरी को रात 10 बजे छुटकर रात 12-30 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेगी। इस ट्रेन का स्टोपेज सावनेर, सौसर, छिंदवाड़ा, चौरई, सिवनी सहित अन्य स्टेशनों में दिया गया है। मकर संक्रांति पर यह स्पेशल ट्रेन शुरू किए जाने पर सांसद प्रतिनिधि व रेलवे जोन के जोनल सदस्य सत्येन्द्र ठाकुर और भाजपा के तमाम पदाधिकारियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सांसद बंटी विवेक साहू का जिले की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है।



सोशल मीडिया से 48 घंटों में हटाए विवादित लिंक जबलपुर, 12 जनवरी. मप्र हाईकोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो का सोशल मीडिया में दुरुपयोग किये जाने को चुनौती देते हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने विवादित 102 युआरएल 48 घंटों में हटाने के आदेश जारी किये हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 24 मार्च को निर्धारित की गयी है। जबलपुर निवासी अधिका आरिहंत तिवारी और विदित शाह तथा डॉ विजय बजाज की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि याचिका दायर कर बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मीम्स या शॉर्ट्स के माध्यम से डाली जाती है। यह आपत्तिजनक है। कई बार न्यायाधीशों द्वारा ओपन कोर्ट में कही बातों को मित्र मसाला लगाकर उन्हें प्रसारित किया जाता है। यह अदालत की अवमानना है। याचिका में मांग की गई कि यू-ट्यूब के स्थान पर वेबेक्स आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए प्रकरणों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, जोकि कुछ हद तक सुरक्षित है। यह मांग भी की गई कि रजिस्ट्रार आईटी भी इस तरह की गतिविधियों पर मोनिटरिंग करें और नियंत्रण सुनिश्चित करें। पूर्व में हुई याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने मेटा कंपनी को आपत्ति जनक वीडियो व युआरएल लिंक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है। याचिका की सुनवाई के दौरान क्रिमिनल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। मेटा कंपनी की तरफ से आपत्तिजनक वीडियो के युआरएल लिंक उपलब्ध करा दिए जाएं.

जस्टिस सुजॉय पॉल बने कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए सीजे

जबलपुर, 12 जनवरी. संस्कारधानी और न्यायिक राजधानी जबलपुर से जुड़े जस्टिस सुजय पॉल को कलकता उच्च न्यायालय का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है.

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को लेकर आदेश भी जारी कर दिया है. बता दें कि वर्तमान में जस्टिस सुजय पॉल कलकता उच्च न्यायालय में वरिष्ठ जज के रूप में पदस्थ थे और अब वे वहां की न्यायिक कमान संभालेंगे. जस्टिस पॉल का न्यायिक सफर बेहद प्रेरणादायक माना जाता है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत



जबलपुर में वकालत के साथ की थी. कड़ी मेहनत, गहन कानूनी समझ और निष्पक्ष छवि के चलते वे जल्द ही न्यायिक जगत में पहचाने जाने लगे. मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर में उनकी वकालत के दौरान कई अहम और संवेदनशील मामलों में उनकी दलीलें चर्चा का विषय बनीं.

वीबी-जी रामजी योजना से गांवों का विकास

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने बैठक को किया संबोधित

भोपाल, 12 जनवरी. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने सोमवार को सागर जिले के बीना में वीबी-जी रामजी जन-जागरण अभियान की बैठक को संबोधित किया.

उन्होंने कहा कि वीबी-जी रामजी योजना गांवों के समग्र विकास का संकल्प साकार करेगी. भाजपा सत्ता के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा और विचारों के सशक्त अभियान के लिए कार्य करती है. खण्डेलवाल ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के स्वदेशी अपनाओ के विचार को कभी सम्मान नहीं दिया और वोट की राजनीति के लिए योजनाओं में नाम जोड़ा.



उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी, खादी और रोजगार को जन-आंदोलन बनाकर गांधीजी के सपनों को साकार किया. वीबी-जी रामजी योजना मजदूरों को समय पर पारिश्रमिक

दिलाने, पंचायतों को जवाबदेह बनाने और गांवों में पारदर्शी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है. पूर्व की योजनाओं में भ्रष्टाचार और ब्रिचौलियों के कारण लाभ सीधे श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाता था. अब तकनीक आधारित और उत्तरदायी प्रणाली के माध्यम से मजदूरों को सीधे भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है. खण्डेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन, आत्मनिर्भर भारत और कृषक कल्याण वर्ष जैसी पहलें देश के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं. बैठक में कई विधायक, सांसद और जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे.

शहर प्रवास

भाजपा के संभागीय कार्यालय में पत्रकारवार्ता आयोजित

सेवा की राजनीति करती है भाजपा : उपमुख्यमंत्री

जबलपुर. भाजपा नाम की नहीं सेवा की राजनीति करती है. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) सेवा तीर्थ है. हम सेवा संकल्प को साकार कर रहे हैं. ये सारी बातें उपमुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने शहर प्रवास के दौरान सोमवार को कहीं.

मौका था रानीताल स्थित भाजपा के संभागीय कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता को संबोधित करने का. इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता



(बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) (2023) तीन नए भारतीय

कानून हैं, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता

बाबू को रिश्तत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया

नामांतरण के लिए मांगे थे 10 हजार, 3 हजार लेते पकड़ा

सरई तहसील में लोकायुक्त की टीम ने किया ट्रैप

सिंगरौली 12 जनवरी. मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही सख्त मुहिम के तहत लोकायुक्त संगठन ने जिले में एक और कार्रवाई को अंजाम दिया है.

महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के स्पष्ट निर्देश पर एवं उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन में लोकायुक्त संभाग रीवा की टीम ने सरई तहसील कार्यालय में सफल ट्रैप कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार के बाबू को रिश्तत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई 12 जनवरी को की गई, जिसने तहसील

कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. लोकायुक्त कार्यालय रीवा को 7 जनवरी को ग्राम धिरौली निवासी आवेदक रामनारायण शाह पिता गोताशरण शाह उम्र 30 वर्ष ने शिकायत दी थी. शिकायत में उल्लेख किया गया कि उन्होंने सितंबर 2024 में 23.75 डिसमिल भूमि क्रय की थी, जिसका नामांतरण कराने के लिए तहसील कार्यालय सरई में आवेदन दिया गया था. आरोप है कि नामांतरण कार्य के एवज में नायब तहसीलदार कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 बड़ा बाबू लखपति सिंह एवं कंप्यूटर ऑपरेटर देवेन्द्र जायसवाल द्वारा 10 हजार रुपए की रिश्तत की मांग की जा रही थी. शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक रीवा के निर्देशन में पूरे मामले का गोपनीय सत्यापन कराया गया.

11 क्विंटल गांजे के पौधे जप्त

नगर परिषद महूगांव को थमाया नोटिस



थाना कुकडेंश्वर एवं रामपुरा क्षेत्रों के जंगली एवं पठारी क्षेत्रों में 05 बड़ी कार्यवाहिया कर निम्नानुसार कार्यवाहियों को अंजाम दिया गया है दिनांक 05.12.2025 को पुलिस थाना कुकडेंश्वर द्वारा पुलिस टीम के साथ थाना कुकडेंश्वर के पठारी क्षेत्रों में

अवैध मादक पदार्थों की खेती की ड्रोन के माध्यम से सर्चिंग के दौरान ग्राम श्योपुरिया चक्की वाला जहल वाले रास्ते के पास सर्वे कर 108 की भूमि पर गांजे के अवैध खेत से करीबन 15 हजार हरे गीले पौधे 03 क्विंटल 25 किलो जप्त किये गये.

गंभीर नदी में प्रदूषण को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हुआ सख्त

नगर परिषद महूगांव को थमाया नोटिस

महू, 12 जनवरी. क्षेत्र की जीवनदायिनी गंभीर नदी के अस्तित्व पर मंडरा रहे प्रदूषण के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाया है.

पूर्व मंडल अध्यक्ष जयेश यादव द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बोर्ड ने नगर परिषद महूगांव को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. शिकायत के बाद प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा 31 दिसंबर 2025 को गंभीर नदी के विभिन्न घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया गया. इस दौरान बोर्ड के

अधिकारियों ने पाया कि गौशाला घाट पर सॉलिड वेस्ट (ठोस अपशिष्ट) यत्र-तत्र बिखरा हुआ है और चारों ओर गंदगी व्याप्त है. निरीक्षण रिपोर्ट में नदी में नगर पालिका के नालों, गटर और सीवेज के अनुपचारित पानी की सीधे छोड़े जाने की पुष्टि हुई है. बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सतीश कुमार चौकसे ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद महूगांव को पत्र जारी कर निम्नलिखित निर्देश दिए हैं. घाटों की सफाई गंभीर नदी स्थित सभी घाटों की तुरंत साफ-सफाई कराई जाए. प्रदूषण पर रोक लगाई जाए. नदी के संरक्षण हेतु आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.

मक्सी रोड बन रहा फोरलेन, 37 करोड़ की लागत से बनेगा ब्रिज

उज्जैन, 12 जनवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिस फीजिंग ओवर ब्रिज का भूमि पूजन किया था, उसका निर्माण सेतु विकास निगम ने प्रारंभ कर दिया है.

साइड रिक किए जाने का काम तेजी से चल रहा है. वही निर्माण भी शुरू कर दिया गया है. अब सेतु विकास निगम एक और टू लाइन ब्रिज बन रहा है. मक्सी से उज्जैन तक जो फोरलेन सड़क बन रही है उसमें अब मक्सी रोड ब्रिज भी फोर लेन हो जाएगा. महाकाल की नगरी में सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारियां अब युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुकी हैं. इसी क्रम में अब मक्सी रोड पर 37 करोड़

रुपए की लागत से नया टू-लेन ब्रिज बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है. यह नया ब्रिज पुराने मक्सी रोड ब्रिज के समानांतर बनाया जाएगा, जिससे पुराना टू-लेन और नया टू-लेन मिलकर फोरलेन मार्ग का स्वरूप लेगा. कार्यपालन यंत्री पीएस पंत ने कहा कि जो भी निर्माण कार्य होगा. वह पूरी तरह नियमों के तहत किया जाएगा. यदि किसी का मकान, दुकान, जमीन या अन्य संरचना परियोजना में प्रभावित होती है, तो नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा. अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन वैध निर्माण को लेकर शासन के निर्देशों का पालन किया जाएगा.